SEMESTER – 2

CC – 5

HISTORY OF IDEAS

E-CONTENT

UNIT – V : Liberals ✔ (i) M.K. Gandhi – State

(ii) B.R. Ambedkar – Social Justice

Vetted by :

प्रो० (डॉ०) सुरेन्द्र कुमार
विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग
पटना विश्वविद्यालय, पटना
संपर्क – 9835463960

डॉ० विद्यानन्द विधाता
अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग
पटना विश्वविद्यालय, पटना
संपर्क – 9472084115

(i) M.K. Gandhi – State (Volume – III)

उद्देश्य :

इससे पहले आपने इस इकाई के खंड–I एवं खंड–II में गाँधी जी के राज्य संबंधी विचारधाराओं में गाँधी जी के अराजकतावादी विचार, स्वराज, पंचायती राज, राजनीति का आध्यात्मिकरण, बहुमत का शासन एवं प्रतिनिधित्व, ट्रस्टीशिप से संबंधित विचार, राष्ट्रवाद एवं अंतर्राष्ट्रीवाद, परमाणु शक्ति संपन्न राज्य, रामराज्य की परिकल्पना के बारे में पढ़ा होगा। इस इकाई के इस खंड (खंड–III) में आप गाँधी जी के द्वारा सत्याग्रह के विभिन्न तकनीकों या तरीकों को जान पाऐंगे।

प्रस्तावना :

गाँधी जी जिस समय भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निर्वाह करना शुरू किया, उस समय भारत में ब्रिटिश शासन का कठोर प्रभाव पूरी तरह स्थापित था। प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन भी कमजोर हो चुका था। राष्ट्रीय आंदोलन शहरी और शिक्षित मध्य वर्ग तक ही लगभग सीमित था। गाँधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जनांदोलन बनाने का उद्देदश्य से लोगों को मनोभाव को समझा तथा लोगों के राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के उद्देश्य से 'सत्याग्रह' की ऐसी नीति अपनाई जिससे लोग आंदोलन से सुगमतापूर्वक जुड़ सके जिसमें वे अंततः सफल रहे।

lR;kxg %

जीवन के तमाम क्षेत्रों में खामियों का जन्म लेना स्वाभाविक है, भले ही खामियों का प्रतिशत कम या ज्यादा रहे। यह खामियाँ या बुराईयाँ राजनीतिक क्षेत्र में हो सकती है, सामाजिक क्षेत्र में हो सकती है, आर्थिक क्षेत्र में हो सकती है या अन्य क्षेत्रों में भी। गाँधीवाद इन सभी क्षेत्रों खासकर राजनीतिक क्षेत्र यानि राजनीतिक जीवन में सुधार के लिए एक प्रभावकारी हथियार देता है, जिसका निशाना अचूक होता है। यह गाँधीवादी हथियार ही सत्य, अहिंसा, आत्मपीड़न या आत्मशोधन पर आधारित है और यह हथियार है–सत्याग्रह।

सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है–सत्य पर आग्रह। इस सत्याग्रह का प्रयोग अत्याचार के विरोध के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है–असत्य को सत्य से जीतने के लिए, घृणा को प्रेम में बदलने के लिए, हिंसा को अहिंसा से जीतने के लिए। गाँधी जी का कहना है कि निष्क्रिय प्रयोग एक चौमुहा खड़ग है, इसे किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह उसका भी भला करता है जो इसका इस्तेमाल करता है और उसका भी जिसके विरूद्ध इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बूंद भी रक्त बहाए बिना, यह दूरगामी परिणाम देता है। न इसे जंग लगती है, न ही इसे कोई चुरा सकता है। इन्होनें कहा कि मेरा निश्चित मत है कि निष्क्रिय प्रतिरोध कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला सकता है। यह एक उत्तम और बड़ा ही कारगर उपाय उपचार है...यह परम शुद्ध शस्त्र है। यह दुर्बल मनुष्य का शस्त्र नहीं है। शारीरिक प्रतिरोध करने वाले की अपेक्षा निष्क्रिय प्रतिरोध करने वाले में कही ज्यादा साहस होना चाहिए। ऐसा साहस शिशु, डेनियल, क्रेयर आदि लोगों में था जिन्होनें पीड़ा और मृत्यु का वरण किया, ऐसा ही साहस टॉलस्टाय में था जिसने रूप के जारों की अवज्ञा करने का साहस किया, जो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।

गाँधी जी के द्वारा सत्याग्रह के निम्नलिखित पाँच प्रमुख तरीके या तकनीक बताए गए है :

1. असहयोग (Non Co-operation)

साधारण शब्दों में, कार्य से अलग हो जाना यानि कार्य में सहयोग न करना ही असहयोग है। असहयोग जनसाधारण में अपनी गरिमा और शक्ति की भावना जागृत करने का एक प्रयास है। यह तभी संभव है जब उन्हें यह ज्ञान कराया जाए कि यदि वे अपनी अंतरात्मा को पहचान सके तो उन्हें पशुबल से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। गाँधी जी "यंग इंडिया" में लिखते है कि असहयोग बुराई में अनजाने और अनिच्छापूर्वक भागीदारी के विरूद्ध किया गया प्रतिवाद है। बुराई के साथ असहयोग करना उसी प्रकार मनुष्य का कर्तव्य है, जिस प्रकार अच्छाई के साथ सहयोग करना। इन्होनें आगे लिखा कि असहयोग शब्द का प्रयोग मैंने जिस अर्थ में किया है, उसमें उसका अहिंसक होना आवश्यक है और इसलिए यह न तो दंडात्मक है और न द्वेष, दुर्भावना अथवा घृणा पर आधारित है। गाँधी जी इस बात पर बल देते हैं कि असहयोग में भूख–हड़ताल, पुतला दहन, दबाव प्रयोग इत्यादि नहीं होनी चाहिए।

2. सविनय अवज्ञा (Civil Disobedience)

सविनय अवज्ञा सत्याग्रह का सबसे प्रभावशाली रूप है। जब मालिक या शासक सेवक को निरंकुश आदेश देता है और उस पर अत्याचार करता है, तो गाँधी जी उस सेवक को सविनय अवज्ञा की शिक्षा देते है। यह सविनय अवज्ञा है–मालिक या शासक के आदेश को अहिंसात्मक ढंग

से अवहेलना करने की। सविनय अवज्ञा के तहत मालिक या अधिकारी के आज्ञा की अवहेलना शांतिपूर्ण तरीके से की जाती है, घृणा और शत्रुता से नहीं। प्रत्येक राज्य अपराधिक अवज्ञा को बलपूर्वक कुचल देता है। यदि नहीं तो वह स्वयं नष्ट हो जाता है।

3. हिजरत (Hijrat)

हिजरत का अर्थ होता है–एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। इसके अंतर्गत स्थायी निवास स्थान से सत्याग्रही या अन्य व्यक्ति दूसरे स्थान पर चले जाते है, क्योंकि पूर्व स्थान पर वे आत्म सम्मान से नहीं रह सकते है या अपनी रक्षा के लिए उन्हें हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करना पड़ सकता है। गाँधी जी का मानना है कि हिजरत से हिंसा टल सकती है, जिससे सत्याग्रही व अत्याचारी दोनों को ही फायदा होता है। हिजरत के कारण निरंकुश व्यक्ति को दण्ड यह मिलता है कि उसका काम–काज बंद हो जाता है।

4. उपवास (Fasting)

सत्याग्रही द्वारा अन्यय जल का त्याग करना ही उपवास है। आमरण उपवास सत्याग्रह के शास्त्रागार का अंतिम एवं सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। गाँधी जी ने इसे "अग्निबाण" कहा है जिसका निशाना अचूक होता है। यह एक पवित्र शस्त्र है। इसे इसके संपूर्ण निहितार्थ के साथ स्वीकार करना

चाहिए। महत्वपूर्ण स्वयं उपवास नहीं है, बल्कि उसका निहितार्थ है। गाँधी जी उपवास को आत्मशुद्धि व आत्म–प्रायश्चित के लिए भी आवश्यक मानते है। गाँधी जी कहते हैं कि उपवास करने वाले व्यक्ति में आध्यात्मिक बल रहता है जो बुरी आत्माओं में खलबली मचा देता है और तानाशाह व्यक्ति भी दयालु बन जाता है।

5. हड़ताल (Strike)

हरिजन पत्रिका में गाँधी जी लिखते हैं कि मैं जानता हूँ कि न्याय पाने के लिए हड़तान करना कामगारों का सहज अधिकार है, लेकिन पूँजीपती द्वारा मध्यस्थता के सिद्धांत को स्वीकार करते ही हड़ताल अपराध करार दे दी जानी चाहिए। हड़ताल को गाँधी जी सत्याग्रह का अंतिम हथियार मानते थे, जिसका प्रयोग सत्याग्रह के प्रथम चार तरीकों अर्थात्, असहयोग, सविनय अवज्ञा, हिजरत तथा उपवास में असफल होने पर करना चाहिए। हड़ताल में "असहयोग" व "सविनय अवज्ञा" दोनों समाहित हो जाता है। हड़ताल से मालिक का काम–काज बंद हो जाता है और मजबूर होकर मालिक को हड़तालियों से समझौता करना पड़ता है। यह ध्यान देने योग्य की बात है कि वर्तमान हड़ताल में जो हिंसात्मक प्रदर्शन देखने को मिलता है, वह गाँधी वादी हड़ताल में नहीं है।

निष्कर्षतः कहा जाता है कि गाँधी जी ने सत्याग्रह के विभिन्न तरीकों के द्वारा राज्य से अपने अधिकारों को प्राप्त करने की बात कही है,

लेकिन सत्याग्रह के इन तरीकों की आलोचना भी कई विद्वानों ने की है। इनका मानना है कि 'हिजरत' संबंधी गाँधीवादी अवधारणा समस्या से लड़ना नहीं बल्कि भागना है। इसी तरह उपवास का प्रभाव निर्दयी और कठोर व्यक्ति पर नहीं के बराबर होता है। इसी तरह हड़ताल से समस्या का समाधान भी पूर्णतः नहीं हो सकता है। इसके बावजूद राज्य संबंधी गाँधीवादी विचारों की उपयोगिता तत्कालिन परिवेश में भी थी और वर्तमान परिवेश में भी है। असहयोग एवं सविनय अवज्ञा संबंधी गाँधी जी के विचारों की सार्थकता हमेशा बनी रहेगी।